अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय–III, मुजफ्फरपुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3085 / 2023

अंतर्गत धारा–272,273 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. शंभू सहनी

2. दीपू सहनी उर्फ दीपलाल सहनी आवेदकगण

.

3. महेन्द्र सहनी

बनाम्

बिहार राज्य ———————————————————— विपक्ष

विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से – श्री विपिन कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक – श्री सत्येन्द्र प्रसाद

08.09.2023 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण शंभू सहनी, दीपू सहनी उर्फ दीपलाल सहनी एवं महेन्द्र सहनी जिन्हें बोचहां थाना कांड संख्या–407 / 2023 अंतर्गत धारा–272,273, / 34 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मघ निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। मूल अभिलेख प्राप्त है।

बचाव पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि आवेदकगण की ओर से इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत किसी न्यायालय में दाखिल नहीं है और न ही उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास हीं है। यह भी कहा जाता है कि आवेदकगण को इस झूठे बनावटी और मनगढंत केस में फंसा दिया गया है,जबकि उनके पास से किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं है और आवेदक संख्या–1.वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है। अंततः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की गई।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भारी विरोध करते हैं और अभिकथित करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण ताड़ी के कारोबारी हैं और इनके कब्जे से 80

लगातार

08.09.2023

लीटर ताड़ी बरामद किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया।

वाद के सूचक, जो स्वयं पुलिस पदाधिकारी हैं, के लिखित कथन पर यह वाद संस्थित है,तद्नुसार संक्षेपतः यह कहा जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो शंभू सहनी के ताड़ी झोपड़ी से करीब 15 लीटर किर्णिवित दीपू सहनी के झोपड़ी से 15 लीटर किर्णिवित ताड़ी एवं महेन्द्र सहनी के घर एवं झोपड़ी से भी 15 लीटर किर्णिवित ताड़ी बरामद की गई।

बरामद ताड़ी की मात्रा जब्ती सूची 45 लीटर दर्शित करता है।

बरामद ताड़ी की भारी मात्रा एवं धारा–76(2) बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 जिसके अंतर्गत धारा–438 द0प्र0स0 के प्रयोज्यता वर्जित की गई है को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र खारिज किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ मूल न्यायालय को वापस किया जाए तथा वेवसाईट पर भी अपलोड किया जाए।

लेखापित

ह0/–
अ0 वि0 उत्पाद न्या0–III
मुजफ्फरपुर।